न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 पुनरीक्षण याचिका

शंकरलाल लोधी पुत्र श्री पूरनलाल लोधी

निवासी–ग्राम आमोलपठा, शंकरगढ़ तहसील करैरा

जिला शिवपुरी म.प्र.

.............पुनरीक्षण याचिकाकर्ता

बनाम

1. भागीरथ लोधी पुत्र पुन्ना लोधी,

निवासी–ग्राम शंकरगढ़ तहसील करेरा

जिला शिवपुरी म0प्र0

2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

....................अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 28.10.2009 जो कि अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 205 तथा 207–208/अपील भागीरथ बनाम म.प्र. शासन में पारित आदेश के विरूद्ध।

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम शंकरगढ़ परगना करैरा जिला शिवपुरी में स्थित होकर सर्वे नम्बर 147

श्री .... द्वारा आज दि 1-8-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2017 July-385

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/2499

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
03.10.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.10.09 के विरुद्ध दिनांक 01.08.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जो प्रथम दृष्टया अवधि वाहय है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आलोच्य आदेश अपील में पारित किया गया है। उक्त आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरुद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अवधि वाहय होने एवं निगरानी प्रचलन योग्य न होने से अग्राहय की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	